LGBTQ+

//

LGBTQ+

LGBTQ+ लोगों की एक व्यापक श्रेणी को संदर्भित करता है, जिसमें वे लोग शामिल हैं, जिन्हें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्वीर के रूप में जाना जाताहै। प्रयुक्त शब्दावली में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के आधार पर व्यापक रूप से भिन्नता है।

LGBTQ+ के खिलाफ भेदभाव

- लैंगिक अभिविन्यास के आधार पर
- लैंगिक पहचान के आधार पर
- लैंगिक अभिव्यक्ति के आधार पर
- लैंगिक विशेषताओं के आधार पर

LGBTQ+ अधिकारों की वैश्विक स्थिति

- सूचकांक मापता है कि **LGBTQ+** और नॉन-बाइनरी व्यक्तियों को किस हद तक विषमलैंगिक व सिजेंडर लोगों के समान अधिकार प्राप्त हैं। यह समलैंगिक संबंधों और विवाह की वैधता जैसी 18 अलग-अलग नीतियों पर विचार करता है। सूचकांक में उच्च मान का अर्थ है अधिक अधिकार, जबकि नकारात्मक मान प्रतिगामी नीतियों का सूचक है।

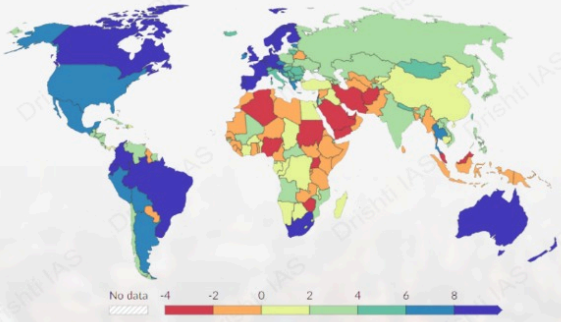

- **प्राइड मंथ:** जून
- **11 अक्तूबर:** नेशनल कमिंग आउट डे

भारत में LGBTQ+ अधिकारों का इतिहास

- **1992:** समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों की मांग को लेकर पहली बार विरोध प्रदर्शन
- **1994:** एक NGO ने IPC की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जिसे वर्ष 2001 में ख़ारिज कर दिया गया
- **1999:** भारत की पहली प्राइड परेड (दक्षिण एशिया की भी पहली)
- **2009:** नाज़ फाउंडेशन बनाम NCT दिल्ली सरकार मामला (दिल्ली उच्च न्यायालय में) - सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध को अपराध मानना निजता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है
- **2013:** सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन- सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया
- **2015:** समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग वाला एक निजी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया
- **2017:** न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ- सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार बताया
- **2018:** नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ- सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया
- **2019:** ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण का प्रावधान।

समलैंगिक विवाह की वर्तमान स्थिति

- **2023:** सुप्रियो बनाम भारत संघ- सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने से इनकार कर दिया साथ ही समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया।

Drishti IAS

और पढ़ें: LGBTQ+

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/lgbtq--2